उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–11/2012

नारायण मुण्डा वगै० बनाम् बलकु महतो वगै० एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

19-02-2021

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर भू–वापसी पुनरीक्षण संख्या–78/2009 नारायण मुण्डा एवं अन्य बनाम् बलकु महतो एवं अन्य में दिनांक–26.06.2012 को पारित आदेश द्वारा प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

सम्बन्धित वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–दुरगी, थाना–पतरातू, खाता नं0–41, प्लॉट सं0–625, कुल रकबा–7.82 एकड़ मध्य रकबा–0.49 एकड़ भूमि के बाबत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4)(a) के अन्तर्गत भू–वापसी दायर वाद में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग द्वारा प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए **"आदिवासी रैयत के बेदखल होने के समय/कारण निर्धारित करते हुए आवश्यक आदेश पारित"** करने के संदर्भ में निर्देशित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम–दुर्गी, ओ०पी० नयानगर (घुटूवा) जिला–रामगढ़ के खात नं०–31, प्लॉट नं०–625, रकबा–7.82 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में सुकरा पाहन के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–33 भोलूम–I पर कायम है। इनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थी लगभग 07–08 वर्षों से बेदखल है। इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खतियानी रैयत के भाई मंगल पाहन के वंशज सवना मुण्डा, रमन मुण्डा दोनों के पिता–दरवारी मुण्डा से ग्राम–दुर्गी, ओ०पी० नयानगर (घुटूवा) जिला–रामगढ़ के खात नं०–31, प्लॉट नं०–625, कुल रकबा–7.82 एकड़ मधे रकबा–0.49 एकड़ वर्ष–1959 ई० में किनु महतो, पिता–शिवराम महतो को हुकुमनामा से प्राप्त हुई है, तत्पश्चात विक्रेता किनु महतो द्वारा निबंधित केवाला संख्या–2207, दिनांक–02.06.1973 द्वारा क्रेता झालो–

देवी, पति–बलकु महतो एवं फगुनी देवी, पति–मेधा महतो को हस्तांतरित किया गया है। इनका यह भी कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 अन्तर्गत निहित प्रावधान के तहत् निर्धारित समयावधि अर्थात 12 वर्ष के पश्चात् भू–वापसी वाद अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) में उल्लेखित है कि "The Deputy Commissioner may, of his own motion or on an application filed before him by an occupancy-Raiyat, who is a member of the Scheduled Tribes, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold and inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1) :

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion thereof :

Provided further that before passing any order under clause (b) or clause (C) of this sub-section, the Deputy Commissioner shall give the parties concerned a reasonable opportunity to be heard in the matter."

अंचल अधिकारी, पतरातू का पत्रांक–222, दिनांक–26.02.2008 द्वारा निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय) को प्रेषित प्रश्नगत भूमि के बाबत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद में विवादित भूमि मौजा–दुर्गी, खाता नं०–31, प्लॉट संख्या–625, रकबा–0.49 एकड़ भूमि केवाला संख्या–2207, दिनांक–02.06.1973 द्वारा विपक्षी बलकु महतो की पत्नी झलवा देवी को खरीदगी हासिल है, परन्तु किनु महतो को प्रश्नगत भूमि कैसे हासिल हुई है, यह अस्पष्ट है। यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा लगभग पचीस–तीस वर्षों से है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–38/2007–08 नारायण मुण्डा वगै० बनाम् बलकु महतो एवं अन्य में दिनांक–02.06.2008 को पारित आदेश में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46–4–ए के तहत् दायर भू–वापसी आवेदन को निर्धारित 12 वर्षों के अवधि के पश्चात् दायर किये जाने के आधार पर कालबाधित मानते हुए भू–वापसी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों/निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है तथा सर्वे खतियान में सुकरा पाहन, पिता–मौजा पाहन के नाम से दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पेज नं०–33, भॉलूम नं०–01 में बुधु पाहन वगै०, पिता–सुकरा पाहन के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत है।
2. अपीलार्थीगण खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशज है, जबकि विपक्षीगण गैर आदिवासी श्रेणी के अन्तर्गत आते है।
3. विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि बिक्रेता किनु महतो से निबंधित केवाला संख्या–2207, दिनांक–02.06.1973 से प्राप्त करने का दावा करते हैं।
4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 अन्तर्गत आदिवासी खोते की भूमि हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त/सक्षम प्राधिकार से अनुमति की आवश्यकता है, जबकि आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को हस्तान्तरण/बिक्रय का प्रावधान नहीं है।
5. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के तहत् उच्छेदित भूमि से रयैत 12 वर्षो की अवधि के अंदर बेदखल है, तभी उक्त सुसंगत धारान्तर्गत भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़) द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का तार्किक एवं वैध आधार नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत भू–वापसी की कार्रवाई पोषणीय नहीं है, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजे। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

9/9/02/21
उपायुक्त,
रामगढ़।

9/9/02/21
उपायुक्त,
रामगढ़

Digitally signed by SANDEEP SINGH
Date: 2021.07.05 21:05:56 +05:30
Location: 192.168.43.219